BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 04 सितम्बर, 2024 **थाना साइबर क्राइम**

लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 01 एटीएम कार्ड व 03 चैक बुक बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 15-05-2024 को वादी लोकेन्द्र कुमार पुत्र कालूराम निवासी ग्राम सलेमपुर जाट थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर ने थाना साइबर क्राइम पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी। इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मुअसं- 15/2024 धारा 420 भादवि व 66(D) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में जाँच/छानबीन व तकनीकि साक्ष्यों के आधार पर थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03-09-2024 को प्रकाश मे आये 04 अभियुक्त अजय प्रताप सिंह उर्फ गौरव चौहान, राजप्रताप उर्फ राजपाल, अविनाश कौशिक उर्फ आशी व सौरभ वर्मा को 01 एटीएम कार्ड व 03 चैक बुक सहित गिरफ्तार किया गया तथा थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत मुअस- 15/2024 में धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में साइबर क्राइम थाने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. अजय प्रताप सिंह उर्फ गौरव चौहान पुत्र राजेश सिंह चौहान निवासी कुन्दोल पोस्ट व थाना चकरनगर जनपद इटावा। हाल पता 493 लोकप्रिय विहार खोडा कालोनी थाना खोडा मकनपुर जनपद गाजियाबाद।
2. राजप्रताप उर्फ राजपाल पुत्र सुरेशचन्द्र उर्फ सुरेश बाबू निवासी विकास कालोनी पक्का बाग इटावा।
   हाल किरायेदार पता होशियारपुर सैक्टर 52 नोएडा।
3. अविनाश कौशिक उर्फ आशी पुत्र स्व0 अनिल कौशिक निवासी मकान न0 349 युसुफपुर चक सावेरी नोएडा एक्सटेंशन थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्ध नगर।
4. सौरभ वर्मा पुत्र मोहन वर्मा निवासी ग्राम मैना थाना व पोस्ट सुनवर्शा जनपद सहरसा बिहार।
   हाल किरायेदार पता गली न0 1 निकट मुन्नी देवी पब्लिक स्कूल युसुफपुर खजूर चौक ग्रेटर नोएडा।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 एटीएम कार्ड (उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक)
2. 03 चैक बुक (भिन्न-भिन्न बैंक की)

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म ठग हैं। जिनके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि ये गिरोह के रुप में काम करते हैं तथा गिरोह में प्रत्येक व्यक्ति का काम अलग अलग रहता हैं। अभियुक्त सौरभ वर्मा फर्जी सिंम अविनाश कौशिक को उपलब्ध कराता था तथा अभियुक्त अविनाश कौशिक उन सिमों को अजय प्रताप सिंह को देता था अजय प्रताप सिंह भोले भाले लोगों को लोन दिलाने का झासा देकर उनसे भिन्न-भिन्न खातो मे पैसे डला लेता था तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी अप्रोवल लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट व चैक तैयार कराते थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री सतीश कुमार पुरी प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम
2. निरीक्षक श्री रामखिलाडी यादव
3. उ0 नि0 श्री नीरज कुमार
4. है0का0 राकेश कुमार, है0का0 संजीप कुमार,
   है0का0 गोविन्दा, का0 पंकज कुमार, म0का0 महताब जहाँ

मीडिया सेल, बुलंदशहर